कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/ **REGIONAL OFFICE,**
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर–208005
PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-24/12/1/प्र.श्रे.लि./1/2018-स्था.

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यरत प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वर्ष 2018 (01.04.2018 से 31.12.20158), 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 की दिनांक- 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार ड्राफ्ट सूची इस शाखा द्वारा पत्र सं. 21-ए-24/12/1/प्र.श्रे.लि./1/2018-स्था. द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 10.10.2024 द्वारा इस आशय के साथ परिचालित की गई थी कि क्रम सं. 1 से 111 तक के कार्मिकों के संदर्भ में विवरण के संबंध में तथा क्रम सं. 112 से 247 के कार्मिकों के संदर्भ में वरिष्ठता/ विवरण के संबंध में त्रुटियाँ/ आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो संबंधित कार्मिक अपना अभ्यावेदन दिनांक- 25.10.2024 को सायं 05.00 बजे तक ई-मेल द्वारा इस शाखा को प्रेषित करें।

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/ अभ्यावेदनों एवं उन आपत्तियों पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लिए गए निर्णय निम्नवत हैं-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु.) व पद, कर्मचारी सं., वर्तमान तैनाती स्थान	ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची का वर्ष एवं क्र.सं.	आपत्तियों/ अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण	अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपत्तियों एवं त्रुटियों के संदर्भ में निस्तारण
1.	गोविन्द शुक्ला, प्र.श्रे.लि., 119667, क्षे.का. कानपुर	2021, 180	पत्र दि. 23.10.24 द्वारा सूचित किया गया है कि संदर्भित सूची में क्रम संख्या 171 से 180 के कार्मिकों की प्रोन्नति DPC के माध्यम से 01.01.2021 में हुई थी। क्रम सं. 174 से 178 के वरिष्ठता क्रम में विसंगति परिलक्षित हो रही है। वरिष्ठता सूची के क्रम 171 से 180 की विसंगति को दूर करने एवं संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने का अनुरोध किया गया है।	प्र.श्रे.लि. संवर्ग की 2021 की ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में क्र.सं. 174 से 178 तक के कार्मिकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के अंतर्गत हुई, जिनकी कार्यग्रहण तिथि वरिष्ठता सूची में अंकित तिथि के अनुसार है। क्र.सं. 174 से 178 व 171 से 180 तक के कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता DoPT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है। अतः श्री गोविन्द शुक्ला, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
2.	हर्षित कुमार द्विवेदी, प्र.श्रे.लि., 123566, क्षे.का. कानपुर	2021, 181	पत्र दि. 23.10.24 द्वारा सूचित किया गया है कि संदर्भित सूची में क्रम संख्या 171 से 181 के कार्मिकों की प्रोन्नति DPC के माध्यम से 01.01.2021 में हुई थी। क्रम सं. 174 से 178 के वरिष्ठता क्रम में विसंगति परिलक्षित हो रही है। वरिष्ठता सूची के क्रम 171 से 181 की विसंगति को दूर करने एवं संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने का अनुरोध किया गया है।	प्र.श्रे.लि. संवर्ग की 2021 की ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में क्र.सं. 174 से 178 तक के कार्मिकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के अंतर्गत हुई, जिनकी कार्यग्रहण तिथि वरिष्ठता सूची में अंकित तिथि के अनुसार है। क्र.सं. 174 से 178 व 171 से 181 तक के कार्मिकों की वरिष्ठता DoPT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है। अतः श्री हर्षित कुमार द्विवेदी, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
3.	रामनाथ कुमार साहू, प्र.श्रे.लि., 161901, उ.क्षे.का. वाराणसी	2019, 129	पत्र दि. 18.10.24 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्र.श्रे.लि. वरिष्ठता सूचीवर में उन्हें क्रम सं. 129 रखा गया है। उनकी निगम में नियुक्ति की तिथि 26.03.2014 है, जबकि क्रम. सं. 127 श्री सत्येन्द्र कुमार की नियुक्ति तिथि दि. 26.03.2014 है एवं श्री सत्येन्द्र कुमार को वरिष्ठता सूची में उनसे ऊपर रखा गया है। जबकि मुख्यालय के नियमानुसार उन्हें वरिष्ठता सूची में श्री	श्री सत्येन्द्र कुमार, प्र.श्रे.लि. द्वारा अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत व श्रीमती साधना यादव, प्र.श्रे.लि. द्वारा कारूण्य आधार पर नियुक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वर्ष 2018 में कार्यग्रहण किया गया है, जबकि श्री रामनाथ कुमार साहू, प्र.श्रे.लि. द्वारा अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वर्ष 2019 (दि. 01.01.2019) में कार्यग्रहण किया

			सत्येन्द्र कुमार से ऊपर होना चाहिए था। साथ ही क्र.सं. 128 में वर्णित श्रीमती साधना यादव की नियुक्ति दि. 31.12.18 है व यदि उनकी नियुक्ति आदेश, भर्ती वर्ष मुख्यालय के आई.आर.टी. आदेश सं. 72/2018 दि. 11.10.2018 के बाद की है, तो वरिष्ठता सूची में उन्हें उनसे भी ऊपर होना चाहिए । उनके द्वारा प्र.श्रे.लि. वरिष्ठता सूचीवर में आवश्यक संशोधन करते हुए श्री सत्येन्द्र कुमार से ऊपर रखने का अनुरोध किया गया है।	गया है, अतः DoPT के पत्र सं. 20011/2/2019-Estt. (D), दि. 13.08.2021 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त कार्मिकों की वरिष्ठता संबंधित वर्ष में निर्धारित की गई है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है। अतः श्री रामनाथ कुमार साहू, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
4.	शुभम मिश्रा, प्र.श्रे.लि., 172920, उ.क्षे.का. वाराणसी	2021, 212	पत्र दि. 18.10.24 द्वारा सूचित किया गया है कि उनकी वरिष्ठता में विसंगति दृष्टिगत है। अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण पालिसी के अनुसार समान भर्ती वर्ष में अन्य क्षेत्रों से दो या दो से अधिक स्थानांतरित हुए कर्मचारी की वरिष्ठता date of panel, date of appointment in previous cadre (in case of promotion), date of birth, name के आधार पर होनी चाहिए। उनकी वरिष्ठता क्रमांक 212 पर अंकित की गई है। क्रमांक 208 पर कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 12.01.18 है, जो उनकी नियक्ति के पश्चात की है, परन्तु उन्हें वरिष्ठता क्रम में श्री शुभम मिश्रा से ऊपर अंकित किया गया है।	अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(c) के अनुसार (भर्ती वर्ष, भर्ती वर्ष समान होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि, परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि समान होने पर नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्मतिथि व जन्मतिथि समान होने पर नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार) निर्धारित की गई है। अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत कार्मिकों के स्थानांतरण पूर्व तैनाती क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार क्र.सं. 208 व 212 पर अंकित कार्मिकों का भर्ती वर्ष समान है, किन्तु क्र.सं. 208 के कार्मिक के संदर्भ में परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि दि. 10.11.17 व 212 के कार्मिक के संदर्भ में परिणाम जारी किए जाने की तिथि दि. 16.11.17 है, अतः तद्नुसार मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(c) के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है। अतः श्री शुभम मिश्रा, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
5..	सुबोध कुमार, प्र.श्रे.लि., 123580, उ.क्षे.का. वाराणसी	2021, 185	पत्र दि. 18.10.24 द्वारा सूचित किया गया है कि संदर्भित सूची में क्रम संख्या 171 से 185 तक नियुक्ति/ DPC के माध्यम से वर्ष 2021 में भरी गई है । क्रम सं. 174 से 178 के वरिष्ठता क्रम में विसंगति परिलक्षित हो रही है। उक्त विसंगति को दूर करते हुए वरिष्ठता क्रम में सुधार करवाने का अनुरोध किया गया है।	प्र.श्रे.लि. संवर्ग की 2021 की ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में क्र.सं. 174 से 178 तक के कार्मिकों की वरिष्ठता DoPT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः श्री सुबोध कुमार, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
6.	रोहित शर्मा, प्र.श्रे.लि., 119668, क्षे.का. कानपुर	2021, 183	पत्र दि. 24.10.24 द्वारा सूचित किया गया है कि संदर्भित सूची में क्रम संख्या 171 से 183 के कार्मिकों की प्रोन्नति DPC के माध्यम से 01.01.2021 में हुई थी। क्रम सं. 174 से 178 के वरिष्ठता क्रम में विसंगति परिलक्षित हो रही है। वरिष्ठता सूची के क्रम 171 से 183 की विसंगति को दूर करने एवं संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने का अनुरोध किया गया है।	प्र.श्रे.लि. संवर्ग की 2021 की ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में क्र.सं. 174 से 178 तक के कार्मिकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के अंतर्गत हुई, जिनकी कार्यग्रहण तिथि वरिष्ठता सूची में अंकित तिथि के अनुसार है। क्र.सं. 174 से 178 व 171 से 183 तक के कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता DoPT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है। अतः श्री रोहित शर्मा, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
7.	प्रशान्त शर्मा, प्र.श्रे.लि., 119672, उ.क्षे.का. लखनऊ	2021, 182	पत्र दि. 24.10.24 के द्वारा सूचित किया गया है कि ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 182 है व उन्होंने प्र.श्रे.लि. के पद पर पदोन्नति आदेश सं. 267 माह दिसम्बर 2020 के अनुसार दि. 01.01.21 से कार्यग्रहण किया था, जबकि क्रमांक 174 से 178 के कार्मिकों की नियुक्ति तिथि माह अक्तूबर-21 तथा नवम्बर-21 है, परन्तु वरिष्ठता सूची में उनको क्रमांक 173 व 179 के मध्य रखा गया है, जोकि नियमित प्रतीत नहीं हो	प्र.श्रे.लि. संवर्ग की वर्ष 2021 की वरिष्ठता सूची में क्र.सं. 174 से 178 तक के कार्मिक सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिक हैं तथा क्र.सं. 173, 179, 182 के कार्मिक DPC के माध्यम से पदोन्नत हुए हैं। प्र.श्रे.लि. संवर्ग में भर्ती के विभिन्न माध्यमों DR, DPC, LDCE के मध्य DoPT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण हेतु rotation of quota प्र.श्रे.लि. के भर्ती विनियम में विभिन्न माध्यमों

			रहा है । साथ ही पदोन्नति आदेश सं. 89/2016 एवं 267/2020 से संबंधित कार्मिकों पूर्व में भी पदोन्नति एक साथ बिना वरीयता क्रमांक बदले क्रमशः दी गयी है । उनके द्वारा विसंगति पर विचार कर वरिष्ठता सूची का पुनः अवलोकन कर विसंगति को दूर कर नवीन वरिष्ठता सूची/ मसौदा जारी करने का श्रम करें।	हेतु उल्लिखित प्रतिशतता i.e. 75:15:10 i.e. 15:3:2 (जहाँ भी लागू हो) के अनुसार किया गया है व भर्ती के विभिन्न माध्यमों में से वरिष्ठता सूची में प्रारम्भ बिंदु / प्राथमिकता व क्रम का निर्धारण DoPT के पत्र सं. 28011/6/76-Estt. (D), दि. 24.06.1978 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किया गया है, जोकि नियमानुसार उचित व न्यायपूर्ण है । अतः श्री प्रशान्त शर्मा, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है।
8.	अनंत दीप मिश्रा, प्र.श्रे.लि., 168325, उ.क्षे.का. लखनऊ	2021, 214	पत्र दि. शून्य द्वारा सूचित किया गया है कि वरीयता सूची में वर्ष 2018 की क्र.सं. 214 पर उनका नाम है तथा निगम में उनके बाद कार्यग्रहण किए हुए कार्मिकों को वरीयता सूची में उनसे वरिष्ठ दर्शाया गया है । डी.ओ.पी.टी. के पत्र सं. 20011/2/2019-Estt(D) Dated 13.02.2021 के बिंदु 2.4.5 (i) में "Inter se seniority between direct recruits and promotees, who are appointed against the vacancies of respective quota, would be reckoned with reference to the year in which they are appointed i.e. year in which they are born in the cadre or formal appointment order is issued" से स्पष्ट होता है कि जो कार्मिक निगम में उनके बाद कार्यग्रहण किए हैं, को वरिष्ठता निर्धारित करते समय श्री अनंत दीप मिश्रा से वरिष्ठ दिखाना नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होता है व यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध भी है कि उनसे लगभग 18 माह बाद निगम में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों को उनसे ऊपर क्रम में रखा गया है, जबकि वह कार्मिक भी IRT-2021 के द्वारा ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण किए हैं । उपरोक्त विषय में न्यायोचित निर्णय लेते हुए उनकी वरिष्ठता क्रमांक 197 पर करने का अनुरोध किया गया है।	वर्ष 2021 में उ.प्र. क्षेत्र में अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों के मध्य परस्पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(c) के अनुसार (भर्ती का वर्ष, भर्ती का वर्ष समान होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि, परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि समान होने पर नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्मतिथि व जन्मतिथि समान होने पर नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार) तथा DoPT के पत्र सं. 20011/2/2019-Estt(D) Dated 13.08.2021 के बिंदु 6 (ii) के अनुसार "The terms 'recruitment' and 'appointment' have to be read harmoniously and the determination of seniority for recruitees would depend on their actual appointment and not the initiation of recruitment process itself. It thus follows that seniority of direct recruits and promotees hence forth stands delinked from the vacancy/ year of vacancy." के अनुसार श्री अनंत दीप मिश्रा का year of recruitment/appointment 2016-17 है तथा क्र.सं. 197 से 213 तक के कार्मिकों का year of recruitment/appointment 2017-18 है । अतः श्री अनंत दीप मिश्रा, प्र.श्रे.लि. की आपत्ति को स्वीकार करते हुए उनकी वरिष्ठता वर्ष 2021 में क्र. सं. 197 पर पुनर्निर्धारित करते हुए वर्ष 2021 की संशोधित ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है।
9.	अमित कुमार शर्मा, प्र.श्रे.लि., 138097, उ.क्षे.का. लखनऊ	-, 104	पत्र दि. 21.10.24 द्वारा सूचित किया गया है कि ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में उन्हें क्र.सं. 104 में स्थान दिया गया है तथा उनके साथ अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थानांतरित अन्य कार्मिकों की पदोन्नति सहायक के पद पर हो चुकी है, जबकि उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है। उन्हें ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में 2018 बैच के कार्मिकों के नीचे रखा गया है । इसके साथ ही K. Meghchandra Singh & Ors. (Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि. 19.11.2019, DoPT के OM no. 20011/1/2012-Estt.(D) dated 04.03.2014, Ankit Khandelwal & Ors. (D.B. Civil Writ Petition No. 351 of 2021) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान (जयपुर बेंच) के निर्णय दि. 25.04.2022 का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा पदोन्नति हेतु अभ्यर्थन का पुनरीक्षण किए जाने व लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची में स्थान दिए	प्र.श्रे.लि. संवर्ग की वर्ष 2018 (01.04.18 से 31.12.18) से 2023 तक (सिर्फ क्र.सं. 112 से 247 तक) की ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची वरिष्ठता संबंधी आपत्तियाँ/ अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु दि.10.10.24 को जारी की गई थी, जबकि श्री अमित कुमार शर्मा, प्र.श्रे.लि. का नाम क्र.सं. 104 में (वर्ष 2016-17 की वरिष्ठता सूची में) अंकित है, जोकि पहले ही अंतिम रूप से निर्धारित की जा चुकी है । इसके साथ ही DoPT के पत्र सं. 20011/2/2019-Estt. (D), दि. 13.08.2021 के बिंदु 7 (ii) के अनुसार "As the Order dated 19.11.2019is prospective, cases of inter se seniority of direct recruits and promotees, already decided in terms of O.M. No. 2011/1/2012-Estt.(D) dated 04.03.2014, shall not be disturbed. i.e. old cases are not to be reopened." अतः श्री अमित कुमार शर्मा, प्र.श्रे.लि. से प्राप्त आपत्ति को

			जाने का अनुरोध किया गया है।	खारिज किया जाता है।

Signed by
Amrish Kumar Sharma
Date: 28-11-2024 10:32:39

(अमरीश कुमार शर्मा)
अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपिः
1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्मय से)।
2. क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) महोदय, के निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
3. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सहायक संवर्ग की इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड।